**27-क. गरीब बालकों की सहायता करने के लिए न्यास का विलेख।**

 एक भाग के .............. ................. में वर्तमान समय में निवास करने वाले ...... ................. (न्यास का सृजनकर्ता कहा गया तथा दूसरे भाग इस विलेख के तत्समय प्रवृत्त होने के कारण न्यासी ................. ................. में वर्तमान समय में रहने वाले ................. ................ जिस पद के अन्तर्गत जब कभी भी संदर्भ वैसा स्वीकृत करे या अपेक्षा करे, कथित न्यासीगण एवम् उत्तरवर्ती या उनके उत्तरवर्तीगण तथा उत्तराधिकारीगण, निष्पादकगण एवम् ऐसे उत्तरवर्ती के प्रशासकगण, उनके या उसके समनुदेशितीगण तथा न्यासीगण आयेगें।

यतः

(1) न्यास का सृजनकर्ता उच्चतर शिक्षा के लिए उन्हें प्रयोजित करके गरीब बालकों की सहायता करना;

(2) अनेक स्कूलों से चयनित किये गये बालकों की भेटों को प्रायोजित करना:

(3) एक स्कूली पोशाक, किताबें इत्यादि का प्रबन्ध करके;

(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनेक पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क शिक्षण देना;

(5) वृद्धावस्था निवास स्थान;

(6) आवास विहीन बालकों के लिए शरण;

(7) गरीब / ग्रामीण लोग के लिए चिकित्सीय सुविधाएं;

(8) बागवानी;

(9) खेलकूद;

(10) प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों सहायता देना;

और यतः ऐसी इच्छा को प्रभावकारी बनाने के लिए उपर्युक्त प्रयोजनार्थ न्यास का सृजनकर्ता ने इस आशय के साथ न्यासियों को .......... .................रुपये (................. रुपये मात्र) का परिदान किया है कि वे न्यास पर तथा उसी से सम्बन्धित एवम् इसमें इसके पश्चात् घोषित की गयी शक्ति एवम् उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उससे उद्भूत होने वाली कथित रकम एवम् आय को धारण करेगें जिसको न्यास धारियों ने करने का करार किया है।

और यतः न्यासियों ने ऐसे रूप में व्यक्तिगत तौर पर तथा सामूहिक तौर पर कार्य करने का करार किया है और पहले से ही न्यास के सृजनकर्ता की उपर्युक्त इच्छा के अनुसरण कथित नकद को कब्जा में ले लिया है जिसने यथापरोक्त न्यास के प्रयोजनार्थ न्यासधारियों को उसको अप्रतिसंहरणीय तौर पर अंतरित कर चुके हैं तथा उसको सौंप दिये हैं।

**अब अतएव यह न्यास विलेख घोषणा करता है और साक्षित करता है।**

1. यह कि ऊपर परिसरों के अनुसरण में व्यवस्थापक की हैसियत से न्यास के सृजनकर्ता न्यास पर उसी को धारण करने के लिए नकद न्यासी को एतद्द्वारा ही हस्तांतरित करता है और व्यवस्थापित करता है और न्यासीगण इसमें इसके पश्चात् वर्जित शक्तियों के साथ तथा उपयोगों के अध्यधीन रहते हुए उनमें से प्रत्येक एतद्द्वारा उन्हें अंतरण को स्वीकृत एवम् अभिस्वीकृत करते हैं।
2. यह कि न्यासी का नाम ................ ................. में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सहित ....... ................. लोक खैराती न्यास होगा।
3. यह कि न्यास

(1) उच्चतर शिक्षा के लिए उन्हें प्रायोजित करके गरीब बालकों की सहायता करना;

(2) अनेक स्कूलों से चयनित स्कूल बालकों के निरीक्षण को प्रायोजित करना

(3) स्कूल पोशाकों, पुस्तकों, फीस इत्यादि का प्रबन्ध करके;

(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण,

(5) विभिन्न पाठयक्रमों के लिए निःशुल्क शिक्षण कार्य करनाः

(6) वृद्धावस्था भवनः

 (7) भवन; विहीन संतानों के लिए आश्रय;

(8) बागवानी;

(9) खेलकूद तथा

(10) प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए की सहायता करना तथा उन्हें सहायता देना के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है।

1. यह कि न्यासी का एतद् द्वारा हस्तांतरित की हुई एवम व्यवस्थापित की हुई नकदी कब्जा हुआ बना रहेगा तथा वह यथापरोक्त न्यास के प्रयोजन एवम् उद्देश्य के लिए तद्वारा व्युत्पन्न हुए ब्याज लाभ एवम् अन्य आय का प्रयोग एवम् उपयोजन करेगा।
2. यह कि न्यासी को तद्वारा हस्तांतरित की हुई नकदी समग्र न्यस्त सम्पत्ति का निर्माण करेगी लेकिन न्यासियों के पास समय-समय पर आवश्यकता की आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर और महत्वपूर्ण समय पर न्यासियों के बोर्ड के उसके बारे में एकमत विनिश्चय पर मात्र समग्र न्यास को बढ़ाने या घटाने की शक्ति होगी।
3. यह कि न्यास न्यासियों के बोर्ड द्वारा शासित किया जायेगा। तत्समय न्यासी बोर्ड इसमें इसके ऊपर वर्णित न्यासियों का गठन करेगा जिसको न्यासी की हैसियत से किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत एवम् सशक्त किया जाता है जब तक किसी समय पर न्यासियों की संपूर्ण संख्या पाँच से अधिक नहीं होती है। मृत्यु, असमर्थता, दिवालियापन, ऐसे रूप में कार्य करने से किसी न्यासी की ओर से त्यागपत्र या इंकार की दशा में शेष रहने वाले न्यासी किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित करने के हकदार हैं जिन्हें वे ऐसे रूप में कार्य करने से त्याग पत्र देने वाले या इंकार करने वाले निःशक्त बना दिये गये, दिवालिया घोषित कर दिये गये, इस प्रकार मर जाने वाले न्यासी के स्थान पर न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त एवम् उचित समझता हो। एक न्यासी के रूप में किसी व्यक्ति का नाम निर्देशन या तो सर्वसम्मत होगा या एक बहुमत विनिश्चय द्वारा होगा और किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन पर समान रूप से विभक्त कर दिये गये न्यासियों की दशा में, प्रबन्ध करने वाले न्यासियों के मामले में विनिश्चय अंतिम एवम् निर्णायक होगा। .
4. यह कि एतद्द्वारा गठित किये गये न्यास का प्रशासन और न्यास सम्पत्ति का संपूर्ण नियंत्रण पर्यवेक्षण, विनियमन, प्रबन्ध तथा संपूर्ण दानों एवम् योगदानों एवम् अभिदायों के रूप में भी उसकी संपूर्ण या आंशिक आय एवम् प्रसुविधाओं का उपयोजन भी यदि कोई भी इसके द्वारा प्राप्त किया जाय तो इसमें इसके पूर्व यथा अन्तर्विष्ट किये गये उपबंधों के किसी प्रकार सदैव अध्यधीन रहते हुए न्यासी बोर्ड के अनियन्त्रित विवेकाधिकार में विहित होगा।
5. यह कि न्यासी बोर्ड न्यास के प्रशासन के लिए तथा उसके प्रयोजन तथा विषय का सम्पादन करने के लिए नियमों एवम् विनियमनों को विरचित कर सकेगा और उसको ही न्यास के प्रयोजन एवम उद्देश्य का सम्पादन करने तथा उसके प्रशासन को और अधिक प्रभावकारी अन्तःस्थापित करने की दष्टिकोण से न्यासी बोर्ड के सर्वसम्मत विनिश्चय द्वारा समय-समय पर फेर-फार, परिवर्तन प्रतिस्थापन या वर्धन किया जा सकेगा। ऐसे नियम विनिर्दिष्ट तौर पर एक सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाली रीति से क्षात्रवृत्ति के अधिनिर्णय के लिए विद्यार्थियों के चयन के आधार या मानदंड को उपबन्धित कर सकेंगे और राज्य सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा क्षात्रवृत्ति की मंजरी के लिए विद्यार्थियों के चयन के लिए भी उपबंध कर सकेगा जिसमें इन्जीनियरिंग या चिकित्सा कालेज या विश्वविद्यालय स्थित है या इस शर्त के किसी प्रकार सदैव अध्यधीन रहते हए सम्बन्धित कालेज या विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किसी भी स्थिति में नहीं ऐसा चयन जाति, पन्थ या धर्म जिसको कोई विद्यार्थी मानता है।
6. यह कि न्यासी बोर्ड के पास उसके साथ संलग्न किन्हीं विशिष्ट शर्तों के या तो साथ या उनके बिना मात्र नकद तौर पर दूसरों से दान स्वीकृत करने की शक्ति होती है। परतु यह तब जब कि कोई भी ऐसी शर्त उसके खण्ड (3) के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती है। उन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हए न्यासी बोर्ड किसी व्यक्ति या उन व्यक्तियों को किसी भी समय आमन्त्रित कर सकेगा और उससे या उनसे एतदद्वारा गठित की गयी एवम् घोषित न्यास के समर्थन एवम् प्रसुविधा के लिए सावधिक योगदान या अभिदाय इस प्रकार सदैव किसी का भी प्राप्त कर सकेगा।
7. यह कि न्यासी बोर्ड समय की किसी भी कालावधि के लिए प्रबन्ध न्यासी के रूप में उनमें से किसी को भी चयनित या नाम निर्देशित कर सकेगा लेकिन प्रथम प्रबन्ध न्यासी ..................... होगा और वह ऐसे रूप में कार्य करने के लिए उसकी मृत्यु असमर्थता दिवालियेपन, त्यागपत्र के समय तक उस पद या दिल को धारण करेगा।
8. यह कि न्यासी बोर्ड की प्रथम बैठक इस विलेख के निष्पादन की तारीख के तीन महीनों के अन्दर की जायेगी और ऐसे स्थान एवम् समय पर किया जाने के लिए सभी न्यासियों को लिखित कम से कम सात दिनों की नोटिस देकर के न्यास के सृजनकर्ता द्वारा समन की जायेगी जिसे समय में विनिर्दिष्ट किया जाय और उस बैठक में न्यास से सम्बन्धित सभी मुद्दों पर विस्तृत तौर पर संभवतः विचार किया जायेगा तथा विशेष तौर पर न्यास विलेख के उपबंधों को प्रभावकारी बनाने के लिए इस न्यास के उद्देश्य एवम् प्रयोजनार्थ को प्राप्त करने के लिए मार्गों एवम रीति पर।
9. यह कि न्यासियों को इस न्यास के निष्पादन के सम्बन्ध में उसको सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में एक सचिव की नियुक्ति करने के लिए तथा ऐसा वेतन न्यास निधि मे से उसको संदाय करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत एवम् सशक्त किया जाना है जिसे न्यासो तत्समय उचित समझे, परन्तु यह तब जबकि न्यासियों में किसी भी एक की नियुक्ति सचिव के रूप में कर दी जाय तो वह किसी भी वेतन को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही उसको संदाय किया जायेगा। न्यासी ऐसे कर्मचारी वृन्द की भी नियुक्ति कर सकेगें जिन्हें वे ऐसे वेतन पर न्यास के प्रयोजनार्थ समीचीन एवम आवश्यक समझे जो वे प्रत्येक मामले में विनिश्चय कर सके।
10. यह कि इसमें इसके पूर्व ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए न्यासी न्यास निधि की होने वाली नकद तौर पर .................... रुपये से अधिक किसी भी समय या तो स्वयमेव के हाथों में या न्यास के किसी सचिव और / या किसी अन्य कर्मचारी या किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में नहीं रखेगा और न्यास की होने वाली संपूर्ण नकदी या रोकड़ .................. बैंक या किसी अन्य अनुसचित बैंक में जमा कर दी जायेगी जिसको न्यासीगण निर्णीत करें। न्यास निधि से सम्बन्धित बैंक कारी खाता कम से कम दो न्यासियों के हस्ताक्षरों के अधीन चलाया जायेगा जिनमें से प्रबन्धक न्यासी एक होगा लेकिन यदि किसी भी समय ऐसे रूप में चयनित या नाम निर्देशित किया गया होने के रूप में निधि का कोई प्रबन्धक न्यासी नहीं है तो न्यास से सम्बन्धित बैंककारी खाता महत्वपर्ण समय पर निधि के सभी न्यासियों के हस्ताक्षर के अधीन मात्र चलाया जायेगा।
11. यह कि न्यासीगण ऐसे प्रभारो के संदाय पर यथा परोक्त बैक या बैंको में न्यास सम्पत्ति की विरचना करने वाले भाग या उससे सम्बन्धित किन्ही दस्तावेजों या प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निक्षेप उनकी अनियन्त्रित विवेकाधिकार में कर सकेंगे उसके लिए यदि किसी पर सहमति पायी जाय और न्यासहित में समीचीन पाया जाय।
12. यह कि न्यासी बोर्ड की बैठक ऐसे स्थान एवम ऐसी तारीखों पर ऐसे समय की जा सकेगी जिस पर न्यासियों द्वारा सहमति व्यक्त की जाय। ऐसी बैठक समय, स्थान एवम् बैठक की तारीख को विनिर्दिष्ट करने वाली तथा ऐसी बैठक के प्रयोजन को उपदर्शित करने वाली भी सभी न्यासियों को लिखित कम से कम सात दिनों की नोटिस देकर न्यासियों में से किसी एक या अधिक के द्वारा बुलायी (समन) की जा सकेगी। लेकिन न्यासी बोर्ड की बैठक एतद्द्वारा गठित किये गये न्यास के लेखा तथा उसकी लेखा परीक्षा के पश्चात एक चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा यथा तैयार किये गये उन लेखाओं से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार करने तथा उन्हें अंगीकार करने के लिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।
13. यह कि एतद्द्वारा गठित किये गये न्यास से सम्बन्धित संपूर्ण प्राप्तियाँ एवम् सम्वितरणों का सत्य एवम् उचित लेखा न्यासियों, उसके सचिव और / या न्यास के कर्मचारी (गण) द्वारा रखा था जिन्हें उस बारे में कर्तब्य सौंपा गया है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या उसके पश्चात उस तारीख तक संपूर्ण वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा और न्यास के मामलों से सम्बन्धित उसी तारीख पर जैसे आस्तियों एवम् दायित्वों की एक बैलेन्स शीट उसी वर्ष की 30 दिन के द्वारा कम से कम तैयार की जायेगी। इन खातों तथा बैलेन्स शीट का एक चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा लेखा-परीक्षा एवम परीक्षण किया जायेगा जिन्हें ऐसे पारिश्रमिक पर इस प्रकार लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ न्यासी बोर्ड द्वारा नियोजित किया जा सकेगा जिसे वे आवश्यक एवम् समीचीन एवम् वांछित समझे। के पश्चात ही यथा शक्य शीघ्र, न्यासी बोर्ड की बैठक आयोजित की जायेगी जिस पर एतद्द्वारा गठित किये गये न्यास का लेखा तथा उससे सम्बन्धित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का परीक्षण किया जायेगा और वह अंगीकार किया जायेगा।
14. यह कि यदि न्यासी निर्देश के साथ किसी ऐसे मुद्दे की बावत एक दूसरे से मतभेद रखते हैं जिस पर वे विवेकाधिकार का उपभोग करते हैं तो न्यासियों के बहुमत की राय तथा बैठक में मतदान अभिभावी होगा और सभी न्यासियों पर आबद्धकारी होगा तथा समान रूप से विभक्त किये गये न्यासियों की दशा में, प्रबन्धक न्यासी द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण ऐसे मुद्दों का विनिश्चय करने में अभिभावी होगा।

**जिसके साक्ष्य में न्यास के सृजनकर्ता तथा इसके न्यासियों ने ऊपर लिखित दिन, माह एवम् वर्ष को ............. में साक्षियों की उपस्थिति में इस न्यास विलेख पर क्रमशः अपना अपना हस्ताक्षर बनाया है।**

**साक्षीगण (न्यास के सृजनकर्ता)**

**पता : ................. (न्यासी)**

**पता : ................. (न्यासी)**

**................. (न्यासी)**